भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1150
(जिसका उत्तर सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

20 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज

1150. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को देश में उक्त पैकेज की घोषणा करने के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) उक्त पैकेज की घोषणा करने के पश्चात् विभिन्न उद्योगों/व्यक्तियों को संवितरित ऋणों/ न लौटाए जाने योग्य प्रतिदेय धनराशि का बैंक-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त पैकेज के लक्षित लाभार्थियों तक वास्तव में वित्तीय सहायता पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी) 1.0, 2.0 और 3.0 को क्रमशः 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020 तक, 12 अक्तूबर, 2020 और 12 नवम्बर, 2020 की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में विभिन्न दीर्घावधि योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां सम्मिलित हैं जिसमें कोविड-19 का मुकाबला करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से घोषणा की गई। यह सब मुख्यतः दीर्घावधि उपाय हैं जिनका परिणाम आने वाले समय में दिखाई देगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-I** पर दर्शाया गया है।

(घ): ऋणों/गारंटियों के विस्तृत विवरण जो कि पैकेज के घोषणा के पश्चात् जारी हुई है को **अनुबंध-II** में दर्शाया गया है। सरकार ने 5,48,55,773 प्रवासियों को 2,74,278.87 मीट्रिक टन अनाज और 16751 मिट्रिक टन चना राज्य/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के तहत उपलब्ध कराया था। इसके अलावा, इसी एलजीएस योजना के अंतर्गत 2,01,364 करोड़ रुपए मूल्य की 91,90,006 गारंटी उपलब्ध कराई गई।

(ङ): सभी वित्तीय लेनदेन को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि उक्त पैकेज के तहत वित्तीय सहायता वास्तव में लाभार्थियों तक पहुंच सके।

*****

08.02.2021 पर जवाब के लिए आर अतारांकित प्रश्न सं. 1150 के भागों (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क. 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. रुपये 3 लाख करोड़ व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा, एमएसएमई सहित
2. रुपये 20,000 करोड़ तनाव एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण
3. रुपये 50,000 करोड़ फंड की एमएसएमई फंड के माध्यम से इक्विटी अर्क
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय
5. सरकार निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदाएं 200 करोड़ रू. तक
6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफ अंशदान नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए अगले 3 महीनों के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए 12% से 10% करने के लिए 3 महीने के लिए कम किया जा करने के लिए
8. एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रु. की विशेष तरलता योजना
9. एनबीएफसी/एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. रुपये 90,000 करोड़ णडस्कॉमों के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से दिए गए ठेकेदारों को राहत, जिसमें ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर कर को धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2015-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर से संबंधित अनुपालन के लिए देय तिथियां

ख. 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता शिशु मुद्र ऋण -। 1500 करोड़ रु रुपये की राहत
20. रुपये 5000 करोड़ स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए ऋण सुविधा।
21. 70 , 000 करोड़ रू. पीएमएवाई तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग के लिए बढ़ावा (शहरी)
22. रुपये 6,000 करोड़ रोजगार बनाना सीएएमपीए निधियों का उपयोग के लिए
23. रुपये 30,000 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. रुपये 2 लाख करोड़ रियायती ऋण 2.5 बढ़ावा करोड़ किसानों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना

ग. 15.05.2020 को घोषणाएँ

25. रुपये 1 लाख करोड़ किसानों के लिए कृषि गेट बुनियादी सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
26. रुपये 10,000 करोड़ माइक्रो खाद्य उद्यम औपचारिक के लिए योजना (यूके)
27. रुपये 20,000 करोड़ के माध्यम से मछुआरों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना - रु। 15,000 करोड़ रु
30. हर्बल संवर्धन को बढ़ावा : 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल - रुपये 500 करोड़
32. 'टॉप' से कुल के लिए - रुपये 500 करोड़
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार
iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया
35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर
36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीति सुधार को बढ़ाना
38. रक्षा उत्पादन में स्व रिलायंस को बढ़ाना
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
40. नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
42. विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने वाला भारत
43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
44. सामाजिक क्षेत्र में सुधारित व्यवहार्यता गैप वित्त योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रुपये 40,000 करोड़ वृद्धि एमजीएनआरईजीएस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करने के लिए आवंटन में
48. भविष्य के महामारियों के लिए भारत को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि
49. टेक्नोलॉजी पोटेंशियल एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट-सीओवीआईडी
50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि
51. कंपनी अधिनियम की चूक को कम करना
52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
54. 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. 12 अक्टूबर, 2020 को की गई घोषणाएँ

55. एलटीसी कैश वाउचर योजना- 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराया का कर-मुक्त भुगतान)
56. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- रु. की ब्याज मुक्त अग्रिम। 10,000, प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में, 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जाएगा।
57. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बूस्ट - एक ₹12,000 के लिए राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण करोड़ पूंजीगत व्यय

- 8 उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 200 करोड़
- ₹ 450 करोड़ प्रत्येक उत्तराखंड , हिमाचल

- शेष राज्यों के लिए of 7,500 करोड़ , वित्त आयोग के विचलन के अनुसार

58. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त बजट के लिए पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ (बजट 2020 -21 में 4.13 लाख करोड़ के अलावा) प्रदान किया गया। ।

छ. 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणाएं

59. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना - कोविड-19 वसूली के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।

60. एमएसएमई व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है।

61. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य 59 1.46 लाख करोड़ की पेशकश की।

62. 18,000 करोड़ अतिरिक्त अतिरिक्त पीएम आवास योजना के लिए - शहरी

63. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट

64. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत

65. इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफार्म

66. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए: 65,000 करोड़

67. ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट: पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है । निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

68. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बूस्ट भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

69. रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

70. कोविड वैक्सीन के लिए आर एंड डी अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

****

अनुबंध-II

08.02.2021 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1150 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्र.सं.	योजना	ऋण/गारंटियां जारी
1.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत शिशु ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर 2 प्रतिशत की ब्याज छूट को पात्र उधारकर्ताओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 1500 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर बढ़ा दिया गया है।	775 करोड़ रुपए की राशि छोटे औद्योगिक विकास बैंक को जारी की गई, पात्र पीएमएमवाई उधारकर्ताओं के खातों में डालने के लिए सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के लिए ब्याज छूट लाभ की पहली किस्त तुरंत दी गई। 29.01.2021 की तिथि तक सिडबी के द्वारा एमएसआई 303.07 करोड़ रुपए से ज्यादा उधारकर्ताओं के खातों में ऋण के छूट खातों में संवितरित किए गए।
2.	आपातकाल ऋण लाइन गारंटी योजना	राष्ट्रीय साख गारंटी ट्रस्टशिप कंपनी लिमिटेड के अनुसार 25.01.2021 तक विभिन्न सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा इसी एलजीएस के अंतर्गत स्वीकृत ऋण 2.39 लाख करोड़ रुपए है।
3.	आंशिक साख गारंटी योजना 2.0	सिडबी के अनुसार, एनबीएफसी/एचएफसी/एफएफआई को सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा 23342 करोड़ रुपए की राशि बांड/सीपी की खरीद के लिए 31.12.2020 तक संवितरित किए जाएंगे। (बांड के पोर्टफोलियो की खरीद के लिए टाइमलाइन)
4.	एनपीएफसी एंड एचएफसी के लिए विशेष नकदी योजना	एसएलएस ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूति गारंटी वाले ब्याज को जारी करने क लिए स्थापित किया गया है, जिसने स्कीम की वैधता तिथि अर्थात् 30.09.2020 तक 7125.51 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
5.	नाबार्ड के माध्यम से किसानों को 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी निधियन	दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार इस विशेष सुविधा में से 25,000 करोड़ वितरित किए गए हैं। आरबीआई द्वारा लघु एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए एसएलएफ के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए की शेष राशि नाबार्ड को आबंटित किया गया था।
6.	भारग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण	अब तक 28.30 करोड़ रुपए की 257 गारंटियां जारी की गई हैं।
7.	भारग्रस्त वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा	दिनांक 12 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार 17.51 लाख ऋण स्वीकृत (33.87 लाख से भी अधिक ऋण आवेदन प्राप्ति में से) की गई और 12.84 लाख ऋण वितरित किए गए हैं।
8.	किसानों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना हेतु 01 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि	दिनांक 09.08.2020 को 2,280 किसान समितियों को 1128 करोड़ रुपए की पहली स्वीकृति दी गई थी। दिनांक 15 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार स्कीम के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 3055 पीएसी को 2991 करोड़ रुपए और पीएसी को छोड़कर 230 संस्थाओं के लिए 235 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गए है